1116
21/2/13
बिहार विधान मंडल पुस्तकालय
शोध/संदर्भ ग्रंथ

खण्ड : 6 संख्या : 24

एकादश बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(षष्ठम् सत्र)

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

सत्यमेव जयते

शुक्रवार, दिनांक : 26 जुलाई 1996 ई०

" पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी।"

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : मैं "बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1996" को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : पुरःस्थापित पर विचार प्रस्ताव ।

विचार का प्रस्ताव

श्री जयप्रकाश नारायणा यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1996" पर विचार हो।"

अध्यक्ष : क्रमानुसार जनमत का प्रस्ताव।

(व्यवधान)

श्री राम लषण राम "रमण" : मैंने जो संशोधन दिया है और उस पर विचार होता है तो सिर्फ पटना विश्वविद्यालय के लिए हुआ है और वह पूरे बिहार राज्य में लागू हो, ऐसी बात नहीं होगी। यह करना होगा। तब तो दो बिल आना ही ?

श्री रवीन्द्र चरण यादव : पटना विश्वविद्यालय एक्ट ही सभी विश्वविद्यालयों में लागू होता है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1996 की तिथि 31 जुलाई, 1996 तक जनमत जानने के लिए परिचारित हो।"

" यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।"

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अम्बिका बाबू आप अपना प्रस्ताव मूव करेंगे या वापस लेंगे ?

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

" कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1996 पर विचार हो।"

" प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।"

अध्यक्ष : अब खंडश: लेता हूं। अब मैं खण्ड 2 लेता हूं। इसमें 4 संशोधन हैं।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री दुती पाहन अपना संशोधन मूव करेंगे या वापस लेंगे ?

श्री दुती पाहन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

" कि विधेयक के खण्ड 2 के उपखंड (3) की मद (ख) में शब्द "स्वीकृत स्थान का 10 प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "संबंधित जिले का रोस्टर (आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए जारी) के अनुरूप प्रतिशत" रखा जाय।"

अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में 50 प्रतिशत से कम जिले में आदिवासी निवास करते है। लोहरदग्गा जिले में 90 प्रतिशत आदिवासी रहते है। इस कानून के तहत अगर उन्हें सिर्फ 10 प्रतिशत आरक्षण ही आदिवासियों को दिया जायगा तो बाकी 40 प्रतिशत दूसरे लोगों को ही जाएगा। वहां जो आदिवासी लोग 90 प्रतिशत रहते हैं उनका एडमिशन कहां होगा। नियुक्ति के मामले में जिलों में, आदिवासियों की आबादी जितनी है उसके अनुसार रोस्टर बना है, कहीं 22 प्रतिशत हैं, कहीं 30 प्रतिशत है और कहीं कुछ है। इसी प्रकार एडमिशन में भी होना चाहिए कि जहां जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसार होना चाहिए। लोहरदग्गा जिला में 90 प्रतिशत आदिवासियों की जनसंख्या है तो इस प्रकार

उनका एडमिशन कैसे होगा ? इसलिए मेरा आग्रह है कि नियुक्ति के मामले में जिस प्रकार रोस्टर बनाया गया है उसी के आधार पर एडमिशन भी किया जाए।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है-

" कि विधेयक के खण्ड 2 के उपखण्ड (3) की मद (ख) में शब्द "स्वीकृत स्थान का 10 प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "सम्बंधित जिले का रोस्टर (आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए जारी) के अनुरूप प्रतिशत" रखा जाय।"

"यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।"

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री खगेन्द्र प्रसाद जी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे या वापस लेंगे ?

श्री खगेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

" कि विधेयक के खण्ड 2 के उपखण्ड (3) की मद (ङ) के बाद एक नया मद (च) निम्न रूप से जोड़ा जाय।"

"उच्च जातियों के निर्धन वर्ग स्वीकृत स्थान का 10 प्रतिशत"।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस बात को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, सरकार कम से कम यह स्पष्ट करे कि मुख्यमंत्री जी की जो पहले घोषणा हुई है जगह जगह पर, इनका जो घोषणा-पत्र है, उसके आलोक में कुछ तो होना चाहिए। मैं अभी, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं करें, ऊंची जाति के जो निर्धन लोग हैं, उनको आप इससे वंचित नहीं कीजिए। इसलिए उनके लिए भी 10 प्रतिशत का आरक्षण सुनिश्चित

करने में क्या समस्या है, क्यों सरकार इससे उनको वंचित करना चाहती है। यह गंभीर बात है। यह कोई एक जिले की बात नहीं है।

श्री फुरकान अंसारी : अध्यक्ष महोदय, इनको एक बार जो अपर कास्ट का वोट मिल गया तो समझ गए कि यह उनको परमानेंटली मिल गया। इनको वोट के अलावा और कुछ नहीं दिखायी पड़ता है।

(व्यवधान)

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसके तहत प्रावधान किया गया है और अगर कोई ऊपर से, पार्लियामेंट से आता है तो जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं कि घोषणा किया है, उनसे कोई बैर भाव नहीं है।

श्री रवीन्द्र चरण यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री खगेन्द्र प्रसाद जी और नेता विरोधी दल को बात करने में कोई हया नहीं है कि इनके द्वारा शासित राज्यों में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में और पहले उत्तर प्रदेश में, मध्यप्रदेश और राजस्थान में भी आरक्षण इन्होंने नहीं दिया है। हमारे नेता लालू यादव जी ने घोषणा की है कि ४0 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

श्री खगेन्द्र प्रसाद : सरकार उच्च जातियों के गरीबों को आरक्षण से वंचित रखना चाहती है। संविधान के मौलिक अधिकार से उन्हें वंचित रखना चाहता है। सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, इसको लागू होने देने में बी. जे. पी. वाले तिकड़म कर रहे है ताकि आरक्षण लागू नहीं हो, यह बिल पास न हो।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

विधेयक के खण्ड-2 की उपखंड (5) की मद (ङ) के बाद एक नया मद (च) निम्न रूप में जोड़ा जाय।

उच्च जातियों के निर्धन वर्ग स्वीकृत स्थान का 10 प्रतिशत"

(घंटी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

विधेयक के खण्ड-2 की उपखंड (3) की मद (ङ) के बाद एक नया मद (च) निम्न रूप से जोड़ा जाय।"

"उच्च जातियों के निर्धन वर्ग स्वीकृत स्थान का 10 प्रतिशत"

(व्यवधान)

शांति, शांति । आपलोग अपनी-अपनी सीट पर बैठ जायं।

श्री मुंशी लाल राय : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हूं।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। प्वायंट ऑफ ऑर्डर यह है कि हमारा संविधान कहता है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है। हमारा जो बिल है वह संविधान सम्मत है। माननीय नेता विरोधी दल और

उनके दल की ओर से जो प्रस्ताव आया है वह संविधान के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए इस पर वोट कराने की जरूरत नहीं है, यह रिजेक्टेड है, आउट ऑफ ऑर्डर है, इसको रिजेक्ट होना चाहिए।

श्री सुशील कुमार मोदी : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक और तमिलनाडू में, 69 और 73 प्रतिशत आरक्षण है। क्या वह गैर-संवैधानिक है ? वहां के विधान-सभा ने पारित किया था और वह लागू है। वह पूर्ण रूप से संवैधानिक है।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान में इसको परिवर्तन करायेंगे, इसका भी प्रस्ताव दिया है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जब पटना विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 1996 आया हुआ था, एक तो अभी संवैधानिक बातों के विरूद्ध बातें हो रही हैं और उस समय माननीय सदस्य ने क्यों नहीं उठाया, ये पोलिटिक्स कर रहे है। उस समय इतनी अराजकता थी, उच्च जातियों के लिए, छात्रों के लिए प्रेम और मुहब्बत था तो उस समय उठाना चाहिए था। मैं कहता हूं कि सबको पौसपोंड कर दीजिए, 10 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग को दे रहे हैं, 5 प्रतिशत आर्थिक पिछड़ा वर्ग को दे दीजिएगा और 5 इनको दे दीजियेगा। बात कीजिए तो पूरी तरह से समेकित ढंग से बात करनी चाहिए, गैर संवैधानिक बातें नहीं करनी चाहिए।

श्री रामदेव वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाय। वह जो अमेंडमेंट आया है, उच्च जाति के लिए, अध्यक्ष महोदय, उच्च जाति के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के सवाल पर जिन लोगों ने अमेंडमेंट दिया, सवाल यह है कि हमलोग 10 प्रतिशत गरीबों को मिले इसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन भारतीय

संविधान में संसद 10 प्रतिशत के लिए संशोधन नहीं करती है तब तक बिहार सरकार यह नहीं कर सकती है। यह संविधान के खिलाफ है इसलिए आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए। इस पर वोट हो ही नहीं सकता है।

(व्यवधान)

श्री मुंशी लाल राय : अध्यक्ष महोदय, जैसे ही अध्यक्ष को यह सब संज्ञान हो जाय कि यह संविधान सम्मत नहीं है तो उसे नहीं रखा जा सकता है। महोदय, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको जैसे ही संज्ञान हो जाय कि संविधान सम्मत नहीं है तो इसको चेयर से ही टर्न डाउन कर देना पड़ेगा।

श्री सुशील कुमार मोदी : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक और तमिलनाडू में 69 और 73 प्रतिशत आरक्षण है। 9 शिडयूल में रखा गया और विधान सभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया और वह लागू है।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को अस्वीकृत किया जाय।

श्री सुशील कुमार मोदी : अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहते हैं कि बिहार में ही जिलों के अंदर आरक्षण आपने किया 70, 80 प्रतिशत। इसी विधान-सभा में पारित हुआ था, बिहार में लागू है, जिला स्तर में।

(व्यवधान)

श्री हिंद केशरी यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हूं। मेरी व्यवस्था सुन ली जाय।

अध्यक्ष : आप बैठ जाईए।

(व्यवधान)

बैठिए न। आप बैठिए न।

(व्यवधान)

बैठिये, इस पर कोई बहस नहीं होगी।

श्री गणेश प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के सवाल पर खड़ा हूं।

अध्यक्ष : आप बैठिये न। चूंकि इसमें संवैधानिक प्रश्न उठ गया है मैं समझता हूं ।

(व्यवधान)

आप बैठिये न। चूंकि संवैधानिक प्रश्न उठ गया है, मैं संविधान को देखूंगा और तब तक मैं मद्रास की स्थिति से बिहार की स्थिति अभी मूल्यांकन नहीं करूंगा। इसलिए मैं इसे अभी अस्वीकृत करता हूं।

श्री गणेश प्रसाद यादव : महोदय, मैं व्यवस्था के सवाल पर खड़ा हूं। महोदय भारत के संविधान की धारा 15 और 16 (4) को देख लिया जाये। यह इसमें नहीं है। इसलिए इसको तुरंत उन धाराओं के अन्तर्गत इस प्रस्ताव को रिजेक्ट किया जाये।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण सदन से बाहर चले गये।)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड 2 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-1 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"नाम इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

स्वीकृति का प्रस्ताव

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1996" स्वीकृत हो।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1996" स्वीकृत हो।